



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15102024-257873
CG-DL-E-15102024-257873

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4066]

नई दिल्ली, शनिवार, अक्टूबर 12, 2024/आश्विन 20, 1946

No. 4066]

NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 12, 2024/ASVINA 20, 1946

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 अक्टूबर, 2024

का.आ. 4429(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से, तमिलनाडु राज्य में एनएच-38 मैंगलोर-विल्लुपुरम रोड के किमी 135/550 से किमी 157/550 (किमी 135/550 - 145/600 (सेक्शन-ए) और किमी 155/200-157/550 (सेक्शन-सी)) पर स्थित तिरुवन्नमलाई शहर के लिए बाई पास का निर्माण तक के पेव्ड शोल्डर के साथ दो लेन में उन्नयन हेतु उक्त अनुसूची के स्तम्भ (4), (5), (6) और (7) में क्रमशः उल्लिखित राज्य, जिलों, तालुकों और गावों से सम्बन्धित उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट भूमि के सम्बन्ध में अनुसूची के स्तम्भ (2) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम अधिकारियों के कृत्यों का निष्पादन करने के लिए एतद्वारा सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है

अनुसूची

तमिलनाडु राज्य में एनएच-38 मैंगलोर-विल्लुपुरम रोड के किमी 135/550 से किमी 157/550 (किमी 135/550 - 145/600 (सेक्शन-ए) और किमी 155/200 -157/550 (सेक्शन-सी)) पर स्थित तिरुवन्नमलाई शहर के लिए बाई पास का निर्माण पर भूमि का अधिग्रहण

क्रमिक संख्या 1	सक्षम प्राधिकारी 2	भूमि का विवरण 3	राज्य 4	जिले का नाम 5	तालुक का नाम 6	गांव का नाम 7
1	एसडीआरओ (एलए), हाइवेज (स्कीम्स), वेल्लोर	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH38 के कि.मी 135.55 से कि.मी 157.55 तक	तमिलनाडु	तिरुवन्नमलाई	तिरुवन्नमलाई	1 अदायुर 2 देवानंदल 3 अदियानामलाई 4 अट्टियंदल 5 मुनियांदल 6 सिलापंडाल 7 एनामकरियांदल

[फा. सं. RO/Chennai/MoRTH/12014/NH-38/AP/007/2024-25]

अभय जैन, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th October, 2024

S.O. 4429(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule relating to state, districts, taluk and villages mentioned in column (4), (5), (6) and (7) respectively of the said Schedule for Construction of bypass to Tiruvannamalai town branching at Km 135/550 to Km 157/550 of NH-38 Mangalore-Villupuram road (Km 135/550 - 145/600 (Section-A) and Km 155/200-157/550 (Section-C)) in the State of Tamil Nadu.

SCHEDULE

Land acquisition on Construction of bypass to Tiruvannamalai town branching at Km 135/550 to Km 157/550 of NH-38 Mangalore-Villupuram road (Km 135/550 - 145/600 (Section-A) and Km 155/200-157/550 (Section-C)) in the State of TAMIL NADU

Sl. No. 1	CALA 2	Stretch 3	State 4	District 5	Taluk/Mandal 6	Name of the Village 7
1	SDRO (LA), Highways (Schemes), Vellore	NH38 KM 135.55 TO KM 157.55	TAMIL NADU	TIRUVANNAMALAI	Tiruvannamalai	1 Adaiyur 2 Devanandal 3 Adiannamalai

						4	Atthiyandal
						5	Muniyandal
						6	Silapandal
						7	Enamkariyandal

[F. No. RO/Chennai/MoRTH/12014/NH-38/AP/007/2024-25]

ABHAY JAIN, Director